कायोलय रजिस्ट्रार संस्थाऐं अजमेर ।

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र

क्रमांक: 72 / अजमेर / 17—18

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी एज्युकेशन सोसायटी, रूपनगढ़ का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या — 28, 1958) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण आज दिनांक को किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर से आज दिनांक छब्बीस माह जुलाई सन् दो हजार सत्रह को अजमेर में जारी किया गया ।

(बी.एल.झारोटिया)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
अजमेर

श्री जी एज्युकेशन सोसायटी, रूपनगढ़

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

2- यह है कि सोसायटी के विधान में संशोधन राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 12 के अनुसार की किया गया है।

धारा	पूर्व विधान	संशोधित विधान
1	श्री जी एज्युकेशन सोसायटी, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान	यथावत रहेगें।
2	सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय इस समिति का पंजीकृत कार्यालय अमरदीप पुत्र श्री रामस्वरुप, तेली मौहल्ला, रूपनगढ़ तथा कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण राजस्थान है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।	सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय इस समिति का पंजीकृत कार्यालय श्री जी एज्युकेशन सोसायटी, धर्मेन्द्र साहू पुत्र श्री भंवर लाल साहू, राजदीप होटल के पास, सिणगारा रोड़, रूपनगढ़ होगा। तथा कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण राजस्थान है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3	1. उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा : छात्रों को उन्नत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, जिसमें नवीनतम तकनीकी उपकरणों और अनुसंधान विधियों का समावेश हो। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल, आयुर्वेद ,प्राकृति चिकित्सा अनुसंधान डेंटल इंजीनियरिंग कॉलेज होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल का संचालन करना 2. अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन : स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और बीमारियों पर शोध करना और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। 3. समाज सेवाएं : ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। मुफ्त चिकित्सा शिविरों और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का आयोजन। स्वच्छता और पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलाना। 4. प्रशिक्षण और कौशल विकास : छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण देना। सर्जरी, क्लिनिकल डायग्नोसिस, इमरजेंसी, चिकित्सा, और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण।	यथावत रहेगें।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location:

	5. स्वास्थ्य नीति निर्माण में सहयोग : स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में सलाह देना। चिकित्सा सुधारों के लिए अनुसंधान और नीति विश्लेषण प्रस्तुत करना। 6. नैतिकता और पेशेवर मूल्यों का संवर्धन : चिकित्सा सेवा में नैतिकता, करुणा और मानवता का पालन सुनिश्चित करना। मरीजों के प्रति दायित्व, गोपनीयता और सम्मान की भावना विकसित करना। 7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना: चिकित्सा में वैज्ञानिक पद्धतियों और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण का प्रसार करना। अनुसंधान पत्रिकाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना। 8. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन, और रोबोटिक सर्जरी जैसी नई तकनीकों का उपयोग करना। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को प्रोत्साहन देना। 9. सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार : सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे टीकाकरण, मातृ-शिशु मृत्यु दर, और पोषण के मुद्दों पर कार्य करना। स्कूल और कॉलेज स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। 10. वैश्विक सहयोग : अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा संगठनों के साथ साझेदारी कर नवीनतम चिकित्सा शोधों और तकनीकों का आदान-प्रदान। 11. आपदा प्रबंधन : महामारी, प्राकृतिक आपदा या अन्य स्वास्थ्य संकट के समय त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना। 12. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता : मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना। 13. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार मरीजों की संतुष्टि और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मानकों का पालन करना। 14. स्थानीय क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। 15. स्थानीय क्षेत्र में छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सोसायटी का प्रारम्भ करना।	

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location:

	16. स्थानीय क्षेत्र में वाचनालय खोलना। 17. सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम में सहयोग करना। 18. शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ना। 19. नैतिक दशा को उन्नत करने का प्रयास। उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।	
4	सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति सोसायटी के सदस्य बन सकेगें। 1. सोसायटी के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो। 2. बालिक हो। 3. पागल, दीवालिया न हो। 4. सोसायटी के उद्धेश्यों में रुचि व आस्था रखते हो। 5. सोसायटी हित सर्वोपरि समझते हो ।	यथावत रहेगें।
5	सदस्यों का वर्गीकरण सोसायटी के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें। 1. संरक्षक – 2. विशिष्ठ – 3. सम्मानीय – 4. साधारण – (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)	यथावत रहेगें।
6	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा। 1. संरक्षक राशि 5100/रुपये वार्षिक 2. विशिष्ठ राशि 2100/रुपये वार्षिक 3. सम्मानीय राशि 1100/रुपये वार्षिक 4. साधारण राशि 1100/रुपये वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त अथवा मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।	यथावत रहेगें।
7	सदस्यता से निष्कासन :- सोसायटी के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा। 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर 3. सोसायटी के उद्धेश्यो के विपरीत कार्य करने पर 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।	यथावत रहेगें।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location:

8	साधारण सभा :- सोसायटी के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेगें।	यथावत रहेगें।
9	साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होगें। 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना। 4. सोसायटी के कुल सदस्यों के 2/3 बहुत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागु होना।)	यथावत रहेगें।
10	साधारण सभा को बैठके :- 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5. सोसायटी के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा माह के अन्दर अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15सदस्यों मे से कोई भी सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें। तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होगें।	यथावत रहेगें।
11	कार्यकारिणी का गठन :- सोसायटी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें। 1. अध्यक्ष - 1 (एक) 2. कोषाध्यक्ष - 1 (एक)	यथावत रहेगें।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location:

	3. सचिव – 1 (एक) 4. उपाध्यक्ष – 1 (एक) 4. सदस्य – 11 (बारह) 5. शिक्षा विभाग द्वारा मनोनित सदस्य – 1 (एक) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 16 सदस्य होगें।	
12	कार्यकारिणी का निर्वाचन :- 1. सोसायटी की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।। 2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी। 4. सोसायटी के सदस्यों को मतदान देने का अधिकार होगा।	यथावत रहेगें।
13	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :- सोसायटी के कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें। 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. सोसायटी की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियों बनाना। 7. अन्य कार्य जो सोसायटी के हितार्थ हों करना।	यथावत रहेगें।
14	कार्यकारिणी की बैठके 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवशयकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी बुलाई जा सकेगी । 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी कि कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सुचना प्रायः7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों, के अतिरिक्त प्रंबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति	यथावत रहेगें।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location:

	अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	
15	प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य सोसायटी की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें। 1. अध्यक्ष (1) बैठको की अध्यक्षता करना । (2) मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना । (3) सोसायटी का प्रतिनिधित्व करना। (4) संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना। (5) बैठके आहूत करना। 2. उपाध्यक्ष (1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। (2) प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 3. सचिव (1) बैठके आहूत करना। (2) कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना। (3) आय-व्यय पर नियन्त्रण करना। (4) वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व मात्रा बिल आदि पास करना। (5) सोसायटी का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजो पर सोसायटी की ओर से हस्ताक्षर करना। (6) पत्र व्यवहार करना। (7) सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो। 4. उपसचिव : (1) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव पद के समस्त कार्य संचालन करना। (2) अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/सचिवद्वारा सौंपे जावें। 5. कोषाध्यक्ष (1) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना। (2) दैनिक लेखो पर नियंत्रण रखना। (3) चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। (4) अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।	यथावत रहेगें।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location:

16	सोसायटी का कोष सोसायटी का कोष निम्न प्रकार से वंचित होगा। 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायकता 5. राजकीय अनुदान 1. उद्धेत प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी। 2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो पदाधिकारियों के संकुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।	यथावत रहेगें।
17	कोष संबंधी विशेषाधिकार :- सोसायटी के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी सोसायटी की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें। 1. अध्यक्ष 5,00,000/- रूपयें 2. सचिव 2,50,000/-रूपयें 3. कोषाध्यक्ष 1,71,000/- रूपयें उपरोक्त राशि का अनुमोदक प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।	यथावत रहेगें।
18	सोसायटी का अंकेक्षण :-सोसायटी के समस्त लेखो जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार सोसायटीऐं को प्रस्तुत करने होंगें।	यथावत रहेगें।
19	सोसायटी का विधान में परिवर्तन :- सोसायटी के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिर्वतन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत रहेगें।
20	सोसायटी का विघटन :- यदि सोसायटी का विघटन आवश्यक हुआ, तो सोसायटी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली सोसायटी को हस्तान्तरिक कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	यथावत रहेगें।
21	सोसायटी के लेखे-जोखे का निरिक्षण :- रजिस्ट्रार सोसायटीए अजमेर को सोसायटी के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	यथावत रहेगें।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Kajot
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.27 11:57:06 IST
Reason: Approved
Location: